दिनांक: 08.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो व 01 स्कूटी होन्डा एक्टीवा, एंव 02 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2024 को वादी सरीफ सोमनाथ चावला पुत्र श्री हरवंश चावला निवासी नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्कूटी होन्डा एक्टीवा नम्बर **UP 11 BC 5832** चोरी कर लेने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 91/24 धारा 379 भादवि एंव दिनांक 07.06.2024 को वादी अमित कुमार पुत्र बृजपाल सिंह निवासी भगवानपुर पोस्ट लखनौती थाना गंगोह सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर की **HR 04 C 6791** चोरी कर लेने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 130/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.24 को मुखबिरक की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 शातिर वाहन चोर **अभियुक्तगण 1.जाफर पुत्र सगीर अहमद निवासी अमन पैलेस नयाबाँस चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर व 2.सलमान पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम अलहेडी नवादा तिवाया रोड, थाना फतेहपुर सहारनपुर** को ढमोला नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने कर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं और मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है। नशे की लत व अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिये हम मोटरसाइकिल चोरी कर सस्ते दाम में बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हमने मोटरसाइकिल किशनपुरा मेडिकल मार्केट एंव स्कूटी भारत माता चौक से चोरी की थी। आज जब हम चोरी की मोटरसाइकिल व स्कूटी को बेचने जा रहे थे तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया। जो चाकू पुलिस द्वारा हमसे बरामद किया गया है उसे हम लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. जाफर पुत्र सगीर अहमद निवासी अमन पैलेस नयाबाँस चौक थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. सलमान पुत्र जुल्फिकार निवासी ग्राम अलहेडी नवादा तिवाया रोड, थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त जाफर का आपराधिक इतिहासः-

1.. मु0अ0सं0 91/24 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 132/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहासः-

1.. मु0अ0सं0 91/24 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 132/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 611/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 चोरी की मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो, (HR 04 C 6791)
- 01 चोरी की स्कूटी होन्डा एक्टीवा, (UP 11 BC 5832)
- 02 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. का0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीडित के कराये गए 80,000/- रूपये वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2024 को थाना चिलकाना साईबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित श्री सरफराज पुत्र श्री हनीफ निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की साइबर शिकायत **संख्या** 33106240070016 जिसमें दिनांक 02.06.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीडित के खाते से ऑनलाइन लिंक के माध्यम से 80,000/- रूपये की ठगी कर ली थी। उपरोक्त प्रकरण में थाना चिलकाना साईबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये बैंक के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पीडित के शतप्रतिशत **80,000/-रूपये** INDIAN POST PAYMENT BANK DELHI में होल्ड कराये थे। माननीय न्यायालय से विधिक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 08.06.2024 को साईबर सेल चिलकाना सहारनपुर द्वारा पीडित की साईबर ठगी में गई शतप्रतिशत **80,000/- की** धनराशि उसके खाते में वापस कराई गई। पीडित द्वारा थाना चिलकाना साईबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. कम्प0 ऑपरेटर विकास देशवाल थाना चिलकाना सहारनपुर
4. कम्प0 ऑपरेटर कपिल देव थाना चिलकाना सहारनपुर
5. का0 123 सुधीर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: **08.06.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2024 को वादी इनाम पुत्र शकील निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत **अंकित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम कलसी थाना तितरो जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी के भाई शाहरूख के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर **मु0अ0स0 233/24 धारा 307/504 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए नामजद अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा टपरी अन्डर पास के नीचे से वांछित अभियुक्त अंकित उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम दोनो दोस्त है, हम लोग कल शराब पी रहे थे और किसी बात को लेकर हमारी आपस में गाली गलौच हो गयी, तो गुस्से में आकर मैने शाहरूख को चाकू मार दिया था। जो चाकू आज पुलिस ने मुझसे बरामद किया है यह वही चाकू है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

अंकित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम कलसी थाना तितरो जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 गुलाब तिवारी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

2. का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

3.का0 2059 रजत थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **08.06.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वांछित/ वारन्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हुते चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 08.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **1. काका पुत्र बिरमपाल निवासी 2. आकाश पुत्र बिरमपाल निवासीगण ग्राम अमरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपर** सम्बन्धित **वाद सं0-381/24 मु0अ0स0 279/23 धारा 323/506 भादवि** माननीय न्यायालय **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर** को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण काका व आकाश उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. काका पुत्र बिरमपाल निवासी ग्राम अमरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. आकाश पुत्र बिरमपाल निवासी ग्राम अमरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 जसवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. का0 2181 ऋषि थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर व 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. **आमिर पुत्र नसीम निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. दानिश पुत्र मशरूर निवासी दिल्ली पैलेट 62 फुटा रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को दबनी कब्रिस्तान के पास तलाब के किनारे रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया तथा **कब्जे से 01 देशी पिस्टल 01 जिन्दा कारतूस व 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 181/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया साहब यह तमन्चा व पिस्टल को हम दोनो उत्तराखण्ड से खरीदकर यहाँ आस पास के क्षेत्र में मंहगे दाम पर बेच देते है जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आमिर पुत्र नसीम निवासी किला नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. दानिश पुत्र मशरूर निवासी दिल्ली पैलेट 62 फुटा रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 पिस्टल देशी व 02 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर
- 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त **ईश्वर पुत्र रोशन सिहं निवासी स्टार पेपर मिल रामू गेट के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को दबनी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया तथा **कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त ईश्वर उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 180/2024 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ करने पर अभियुक्त ईश्वर उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचा मैं अपने दोस्तों व आस पास के लोगों में रोब गालिब करने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- ईश्वर पुत्र रोशन सिहं निवासी स्टार पेपर मिल रामू गेट के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

5. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 882 सचिन आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 1105 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।